

निर्णय ब-इजलास संदेश नायक आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 106/2024 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सरोज विशनोई प्रवर्तन निरीक्षक, झोटवाडा, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।
प्रार्थी

बनाम

मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हाथोज बस स्टेण्ड, झोटवाडा जरिये श्री मुल्तान सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत
जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि.ग्रा. मय 33.990 किलोग्राम
एल.पी.जी. को राजसात करने बाबत।

उपरिथत :-



पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरुण शर्मा अभिभाषक उपरिथत।

निर्णय

दिनांक 14.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी वहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 22.10.2024 को मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हाथोज बस स्टेण्ड, झोटवाडा, जिला जयपुर की जांच की गई। जोधपुर मिष्ठान भण्डार की दुकान के नजदीक गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाईयां बनाई जा रही थी। मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 का भण्डारण पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जिसको जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 30.10.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक अरुण शर्मा ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हाथोज बस स्टेण्ड, झोटवाडा, जिला जयपुर की दुकान के

hab
जिला कलक्टर
जयपुर




नजदीक गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाईयां बनाई जा रही थी। मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 का भण्डारण पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जिसको जब्त किया गया। मौके पर मंगलमुखी इण्डेन गैस एजेन्सी जयपुर के प्रतिनिधि श्री राजू पुत्र गोपाल, जाति जाट, निवासी खण्डेल, फुलेरा को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर 33.990 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 22.10.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम मय एल.पी.जी. 33.990 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 30.10.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फौसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



Kah
(संदेश नायक)
जिला कलेक्टर
जयपुर